

समाहरणालय, पटना।  
(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-2219545 (का०),  
फैक्स न०-0612-2218900  
Email : dampatnaarmssection@gmail.com  
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :-

02-08-2013


आवेदक श्री अमनेश कुमार, पिता-श्री विरेश कुमार आजाद, सा०-चकबैरिया, पो०-बैरिया, थाना-गोपालपुर, जिला-पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर पिस्टल/रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-09-20/2013 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक-02.08.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे ETV News में कैमरा मैन हैं। सामाचार संकनल के क्रम में छायाचित्र प्राप्त करने के लिए उन्हें कई बार जोखिम भरे क्षेत्रों में भी जाना पड़ता है। उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-1074/गो०, दिनांक-22.07.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, गोपालपुर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में संलग्न कर अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, गोपालपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक ETV News में कैमरा मैन हैं। पूर्व से उनके पिता के पास एक डी०बी०बी०एल० गन अनुज्ञप्ति सं०-21/1990 प्राप्त है। तदोपरान्त आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान-माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।


शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री अमनेश कुमार, पिता-श्री विरेश कुमार आजाद, सा०-चकबैरिया, पो०-बैरिया, थाना-गोपालपुर, जिला-


  
162

पटना को उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार व  
लिए मान्य एक एन0पी0बोर पिस्टल/रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान व  
जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित  
अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपो  
साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्याल  
में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त व  
लेंगे।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।  
लेखापित एवं संशोधित।

  
जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।

  
जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।